न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 63/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/68)

गुरदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख निवासी काहनेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः 1.श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2015 द्वारा अपीलान्ट की चक 28 जे. आरे. के. पं. नं. 6/239 मु. नं. 23 के किला नं. 21/0.015 है. कृषि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हड्डा रोड़ी हेतु राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण स्वीकार करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में प्रथम अपील पेश कर तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 24.11.2015 को निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.10.2022 द्वारा अपील पोषणीय नही होने से खारिज कर दी। निर्णय दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ निर्णय दिनांक 11.10.2022 एव तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 24.11.2015 को निरस्त कर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आराजी जैर अपील अपीलान्ट के नाम से पुनः दर्ज करने का आदेश फरमावे।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि दिनांक 24.11.2015 को कमीर सिह भूतपूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत काहनेवाला पुत्र श्याम सिह व निरंजन सिह पुत्र नाहर सिह ने अपीलान्ट को कहा कि राज्य सरकार द्वारा नरमे की फसल के खराबे के मुआवजे का आदेश आया है और तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष नरमे के खराबे का प्रार्थना पत्र भूमि की जमाबन्दी के साथ 100/– रूपये के स्टाम्प लेकर पेश करना है, उनके कहने से कमीर सिह को स्टाम्प लेकर दे दिया, जिसने किसी अर्जी नवीस से टाईप करवाकर अपीलान्ट की फोटो लगाकर नायब तहसीलदार गोलूवाला को पेश किया। अपीलान्ट की उम् ज्यादा होने के कारण उचा सुनाई देता है। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है कमीर सिह वगैरह ने पढकर नही सुनाया है। कमीर सिह तथा निरजन सिह ने नायब तहसीलदार के साथ साज बाज कर अपीलान्ट को धोखे में रख कर उसकी जमीन चक 28 जे. आरे. के. पं. नं. 6/239 मु. नं. 23 के किला नं. 21 की 0.015 हैक्टेयर भूमि का स्टाम्प पर दिनांक 24.11.2015 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत सुरावाली तहसील पीलीबंगा के ग्राम अमर सिह वाला की हड्डा रोड़ी हेतु राज्य सरकार को समर्पित करवाने का सर्मपणनामा लिखवाकर पेश कर दिया, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार गोलूवाला ने तहसीलदार की मोहर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। अपीलान्ट की उक्त भूमि संवत् 2071 की जमाबदी मे कॉलम नं. 4 में गुरदेव सिह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा गोलूवाला मुर्तहीन इन्तकाल नं. 269 दर्ज है। अर्थात अपीलान्ट की उक्त भूमि पहले से ही बैक के रहन रखी हुई है। तहसीलदार पीलीबंगा का आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ मे नही आता है, तारीख 24.11.2015 को स्टाम्प खरीदा गया दिनांक 24.11.2015 को ही तथाकथित समर्पणनामा लिखाया गया है और दिनांक 24.11.2015 को ही समर्पणनामा स्वीकार किया गया है जो

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जल्दबाजी में परित किया गया है। धारा 92– लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कृषि भूमि को अकृषि के लिये उसका उपयोग परिवर्तित करने का अधिकार कलक्टर साहब को है तहसीलदार को ऐसा अधिकार नही है। साथ ही काहनेवाला पंचायत के संरपच ने भी इसका ऐतराज लिख कर दिया हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय नो उस पर कोई ध्यान नही दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ निर्णय दिनांक 11.10.2022 एव तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 24.11.2015 को निरस्त कर आराजी जैर अपील अपीलान्ट के नाम से पुनः दर्ज करने का आदेश फरमावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 24.11.2015 जिसकी रूह से चक 28 जे.आर.के. के पत्थर नं. 06/239 मु.नं. 23 के किला नं. 21/0.015 हैक्टेयर भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हड्डारोडी हेतु समर्पण किया गया को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट स्वंय ने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा से 100 रू. के स्टाम्प पर 2 गवाहों के समक्ष मय नक्शा किला नं. 21 की भूमि का समर्पण पत्र किया है जिसे तहसीलदार पीलीबंगा के द्वारा स्वीकार किया । जिस पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। जिसकी पालना में दिनांक 03.12.2015 को जरिये फर्द सुपुर्दीनामा अपीलान्ट व गवाहान की उपस्थिति में चक 28 जे.आर.के. के मु.नं. 06/239 मु.नं. 23 के किला नं. 21 की 10X15=150 वर्गमीटर भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया है। उक्त कार्यवाही का नामान्तकरण सं. 379 दिनांक 09.12.2015 को स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे समर्पण की कार्यवाही का ज्ञान नही था स्वीकार्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपर जिला कलक्टर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हनुमानगढ के निर्णय 11.10.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौसी)
अति.संभागीय **आयुक्त,**
बीकानेर